जाय, ज्येष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक नहीं होगा।" अतः उक्त के आधार पर मौलिक पद, सहायक अभियन्ता के पद से ज्येष्ठता सूची तैयार की गयी है।

इसके अतिरिक्त उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 में निम्नवत् व्यवस्था है:–

नियम–8–"जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से की जानी हो, वहॉ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उप नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाएं तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये है:–

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों को विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप–

(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो:

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो इस स्थिति के अनुसार, कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है यथास्थिति, नियम 6 या नियम 7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।

(ग) जहॉ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियॉ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से की जाय वहॉ पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनो स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी।

उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, के नियम–8 में निहित उक्त व्यवस्था के अनुसार जहॉ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियॉ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से की जाय वहॉ पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनो स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम के आधार पर अवधारित किये जाने की व्यवस्था है। चूंकि सहायक अभियन्ता पद के सीधी भर्ती एवं पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत चयन एक ही चयन वर्ष में नहीं किये गये है, अपितु अलग–अलग चयन वर्ष में किये गये हैं अतः ऐसी स्थिति में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति कोटे के व्यक्तियों की ज्येष्ठता नियमानुसार चक्रानुक्रम में रखा जाना संभव नहीं पाया गया। ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 में मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही

ज्येष्ठता दिये जाने की व्यवस्था है, रिक्ति की तिथि से ज्येष्ठता दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। उक्त प्राविधानों के तहत ही श्री महेश चन्द्र के संदर्भ में मूल पद सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि 14.02.1997 से वरिष्ठता प्रदान की गयी है। अतः तदनुसार श्री महेश चन्द्र का प्रत्यावेदन आधारहीन एवं बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

(5) श्री निन्नूमल चौधरी, अधिशासी अभियन्ता(जल) द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 25.12.2012 में यह कहा गया है कि रिट याचिका संख्या–1056 (एस/बी)/2008 आलोक कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 15.05.2009 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–15107/2009 उ0प्र0 राज्य बनाम आलोक कुमार शर्मा व अन्य योजित की गयी थी। उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनॉक 30–9–2011 को पारित होने के पश्चात् मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय दिनॉक 15.05.2009 प्रभावी हो गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनॉक 09–09–1996 एवं 17–12–2003 को अधिशासी अभियन्ताओं की निर्गत ज्येष्ठता सूची के आधार पर याची व अन्य पात्र अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति महाप्रबन्धक(जल) के पद पर 03 सप्ताह के अन्दर किया जाना था। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पूर्व एवं बाद में महाप्रबन्धक(जल) की रिक्तियां विद्यमान थी और उक्त ज्येष्ठता सूची में पात्र कार्मिक ही उपलब्ध थे, परन्तु शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.09 का अनुपालन नहीं किया गया बल्कि आंशिक अनुपालन करते हुये श्री आलोक कुमार शर्मा को उनसे कनिष्ठ श्री वी0के0 पाण्डेय को महाप्रबन्धक(जल) के पद पर पदोन्नति की तिथि 18.07.2008 से नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी एवं तत्सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 12.09.2012 निर्गत किया गया। श्री आलोक कुमार शर्मा को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में महाप्रबन्धक के पद पर पदोन्नति की गयी थी। उनकी व अन्य कार्मिक को पदोन्नति नहीं प्रदान की गयी, जबकि 17.12.2003 की ज्येष्ठता सूची में वह भी पात्र अधिशासी अभियन्ता थे। इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों का सदाशयता से पालन नहीं किया गया। यदि सदाशयता से पालन किया गया होता तो उनकी पदोन्नति महाप्रबन्धक के पद पर हो गयी होती।

श्री निन्नूमल चौधरी द्वारा यह भी कहा गया है कि ज्येष्ठता सूची दिनॉक 09–9–1996 एवं दिनॉक 17–12–2003 परिणामी ज्येष्ठता (8क) के आधार पर निर्गत नहीं हुई थी, बल्कि उ0प्र0 पालिका जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता सेवा नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) के प्राविधानों को अंगीकृत करते हुए बनायी गयी थी। नियमतः जब यह ज्येष्ठता सूची के उपलब्ध सभी कार्मिक पदोन्नति प्राप्त कर लेते, तो नवीन ज्येष्ठता सूची बनायी जानी थी, जोकि नहीं किया गया है। उ0प्र0 पालिका एवं जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 दिनॉक 18–12–2012 को निर्गत हुई है, जिसके पैरा–1(3) में यह प्राविधानित है कि यह गजट में प्रकाशन होने के दिनॉक से प्रभावी होगी। जलकल केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1996 के नियम–20 का संशोधन नहीं किया गया है। सम्प्रति यह अद्यतन प्रभावी है। उ0प्र0 पालिका एवं जल संस्थान,

जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 दिनॉक 18–12–2012 से पूर्व की तिथि से प्रभावी नहीं मानी जाएगी। चूँकि वह उक्त संशोधन के पूर्व संगत नियमावली के प्राविधानों के तहत अधिशासी अभियन्ता के पद पर ज्येष्ठता प्राप्त कर चुके थे और पदोन्नति हेतु पूर्णतः अर्ह थे। अतः इसके तहत उनकी ज्येष्ठता 17–12–2003 की ज्येष्ठता सूची में उल्लिखित ज्येष्ठता ही रहनी चाहिए। उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के तहत चक्रानुक्रम में आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जानी चाहिए, जो नहीं की गयी है (प्रथम व्यक्ति पदोन्नति का तथा दूसरा व्यक्ति सीधी भर्ती का) उनकी सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति 14.02.1997 से की गयी थी, जबकि उक्त पदोन्नति पूर्व के वर्षों में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष की जानी थी, अतः उनकी ज्येष्ठता उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष प्रदान की जाय, न कि पदोन्नति की तिथि से। तत्समय प्रभावी सेवा नियमावली के प्राविधानों के तहत सहायक अभियन्ता (जल) के पद पर नियुक्ति के दो स्रोत थें। प्रथम उपलब्ध रिक्तियों का 50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पद पर पोषक संवर्ग से पदोन्नति के द्वारा। उ0प्र0 सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के तहत चक्रानुक्रम के आधार पर ज्येष्ठता (प्रथम कार्मिक पदोन्नति का तथा दूसरा कार्मिक सीधी भर्ती का) निर्धारित की जानी थी। यदि पदोन्नतियां बाद में की गयी थीं तो उनके स्थान रिक्त रखे जाने चाहिए थें तथा पदोन्नति के उपरान्त उनको उन रिक्त स्थानों पर निर्धारित किया जाना था। यदि पदोन्नति के पद सेवानिवृत्त से खाली होने के फलस्वरूप उनके कनिष्ठ पदोन्नति वाले कार्मिकों को उक्त खाली स्थानों पर ज्येष्ठता निर्धारित किया जाना चाहिए था। ज्येष्ठता सूची में उनके ऊपर विभिन्न वर्षों में शत–प्रतिशत कार्मिक सीधी भर्ती के रखे गये हैं। सम्बन्धित पूर्ववर्ती वर्षो में सीधी भर्ती के कार्मिकों के सापेक्ष पदोन्नति श्रेणी के कार्मिकों की भी पदोन्नति करते हुए उनके नाम चक्रानुक्रम से सम्बन्धित वर्षों में रखे जाने चाहिए थें, क्योंकि पूर्ववर्ती वर्षों में सीधी भर्ती की रिक्तियां निश्चित थी तो उतनी ही संख्या में पदोन्नति संवर्ग की रिक्तिया भी थी। अतः उनकी ज्येष्ठता सीधी भर्ती की रिक्तियों के सापेक्ष अवधारित करते हुए ज्येष्ठता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री निन्नूमल चौधरी द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्तियों पर विचारोपरान्त यह पाया गया कि दिनॉक 16–7–2008 को प्रख्यापित अधिशासी अभियन्ताओं की अन्तिम वरिष्ठता सूची एवं तद्नुक्रम में महाप्रबन्धक के रिक्त पदों पर नियमित चयन के फलस्वरूप निर्गत पदोन्नति आदेश दिनॉक 18–7–2008 से क्षुब्ध होकर श्री आलोक कुमार शर्मा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, चित्रकूटधाम मण्डल जल संस्थान, बांदा सम्प्रति महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में रिट याचिका संख्या–1056(एस/बी)/2008 योजित की गयी। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनॉक 15–5–2009 को अन्तिम आदेश पारित किये गये। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित उक्त अन्तिम आदेश दिनॉक 15–5–2009 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–15107/2009 उ0प्र0 राज्य बनाम आलोक कुमार शर्मा व अन्य योजित की गयी। इसके अलावा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनॉक 15–5–2009 को प्रभावित विपक्षीगण यथा सर्वश्री

रामभरोस सिंह एवं आई0डी0 पाण्डेय द्वारा भी एस0एल0पी0 संख्या–18859/2009 के माध्यम से मा0 सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 28–8–2009 को उक्त दोनो एस0एल0पी0 को एकजाई करते हुए status quo बनाये रखे जाने आदेश पारित किये गये। कालान्तर में उ0प्र0 राज्य तथा प्रभावित विपक्षीगण यथा सर्वश्री रामभरोस सिंह एवं आई0डी0 पाण्डेय द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित पृथक–पृथक विशेष अनुज्ञा याचिकाओं को मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2011 द्वारा खारिज (Dismissed) कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त वरिष्ठता सूची दिनॉक 16–7–2008 को, जोकि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनॉक 14 सितम्बर, 2007 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2007 अर्थात नियम–8ए के अवधारण के सिद्धान्तों को अंगीकार करते हुए बनायी गयी थी, को किसी भी कार्मिक द्वारा मा0 न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी। अधिशासी अभियन्ता की उक्त वरिष्ठता सूची दिनॉक 16–7–2008 को अनारक्षित संवर्ग के कार्मिक (श्री आलोक कुमार शर्मा) द्वारा अपनी पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण हेतु मा0 उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी और मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2009 को उ0प्र0 राज्य तथा प्रभावित विपक्षीगण यथा सर्वश्री रामभरोस सिंह एवं आई0डी0 पाण्डेय द्वारा पृथक–पृथक विशेष अनुज्ञा याचिकाओं के माध्यम से मा0 सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2011 द्वारा खारिज (Dismissed) कर दिया गया। इस प्रकार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनॉक 30–9–2011 के फलस्वरूप विधिक रूप से रिट याचिका संख्या–1056(एस/बी)/2008 आलोक कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनॉक 15–5–2009 अन्तिम एवं प्रभावी हो जाने के आधार पर याची श्री आलोक कुमार शर्मा, महाप्रबन्धक (जल) द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 21.11.2011 के कम में सम्यक् विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2887/9–3–2012–56डब्लू/2010, दिनांक 12.09.2012 द्वारा श्री आलोक कुमार शर्मा, महाप्रबंधक (जल) को उनसे कनिष्ठ श्री बी0के0 पाण्डेय व अन्य की महाप्रबंधक के पद पर दिनांक 18.07.2008 से की गयी पदोन्नति की तिथि से महाप्रबंधक के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश निर्गत किया गया।

इसी मध्य उ0प्र0 सरकारी ज्येष्ठता नियमावली,1991 के नियम–8(क) एवं उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण) अधिनियम, 1994 के नियम–3(7) के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या–1389 (एस/बी) /2007 प्रेम कुमार सिंह तथा अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य तथा अन्य व इससे सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 04 जनवरी, 2011 को अन्तिम निर्णय पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"Thus , all the writ petition in the bunch do not require any separate discussion and for the reasons aforesaid, they shall also be governed by the present judgment.

For the reasons given above and the discussions made, we declare the provisions of Section3(7) of the Act, 1994 and that of Rule 8-A of the U.P Government Servants Seniority (Third Amendment) Rules, 2007 as invalid, ultra virus and unconstitutional. Consequently, the Government Order dated 17-10-2007 is also hereby quashed.

In view of our finding that reservation in promotion as provided under Section3(7) of the Act, 1994 is no more available, the Eligibility List Rules, 1986 as amended in 1995 and 2001, in so far as they provide for preparation of separate eligibility list of general category and scheduled castes and scheduled tribes candidates with accelerated seniority, lose their significance and shall remain no more operative.

Consequent to the aforesaid declaration, we quash all the seniority lists, which have been prepared by applying Rule 8A and are subject-matter of challenge in their respective writ petitions in the bunch. This direction will equally be applicable to all the departments of the State Government and the Corprorations, etc.

We further clarity that in case the State Government decides to provide reservation in promotion to any class or classes of posts in the services under the state, it is free to do so after undertaking the exercise as required under the consititutional provisions, keeping in mind the law laid down by the Apex court in the case of M. Nagraj But till such an exercise is done and enactment/Rule is consequently made, no reservation in promotion on any post or classes of posts under the services of the State including the corporations,etc. Shall be made henceforth. Howerver, all promotions already made as per the provision/rule of reservation where the benefit of Rule 8-A has not been given, while making the promotions, shall not be disturbed by the declaration aforesaid and shall stand protected.

All the writ petitions are, therefore, allowed. Costs easy.

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनॉक 04 जनवरी, 2011 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या– 2608/2011 व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–4030/2011 में विस्तृत सुनवाई के पश्चात् मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2012 को अन्तिम निर्णय/आदेश पारित किये गये है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत हैः–

"In the ultimate analysis, we conclude and hold that section-3(7) of 1994 Act and rule-8A of the 2007 Rules are ultra-vires as they run counter to the dictum in M.Nagaraj (Supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indira Sawhney (Supra) and without the aid or assistance of section-3(7) and rule 8A shall remain undisturbed."

इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 04–01–2011 एवं इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनॉक 27–04–2012 के आलोक में उपरोक्त परिस्थितियों मेंउ0प्र0 सरकारी ज्येष्ठता नियमावली,1991 के नियम–8(क) एवं उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण) अधिनियम, 1994 के नियम–3(7) के अन्तर्गत पदोन्नति किया जाना विधिक रूप से सम्भव नहीं है। मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2012 में इन्दिरा साहनी केस में दिये गये निर्णय से आच्छादित पदोन्नतियों को ही संरक्षण प्रदान किया गया है। **इन्दिरा साहनी केस में मा0 उच्चतम**

न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.11.1992 का था, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था पांच वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक 16.11.1997 तक ही अनुमन्य की गयी थीं। श्री निन्नूमल चौधरी को आरक्षण अधिनियम–1994 की धारा–3(7) का लाभ प्रदान करते हुये अधिशासी अभियन्ता(जल) के पद पर दिनांक 09.05.2003 को तथा सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 14.02.1997 को पदोन्नति प्रदान की गयी है। चूंकि श्री निन्नूमल चौधरी को आरक्षण अधिनियम–1994 की धारा–3(7) का लाभ प्रदान करते हुये अधिशासी अभियन्ता(जल) के पद पर दिनांक 09.05.2003 से पदोन्नति प्रदान की गयी है, जो दिनांक 16.11.1997 के बाद की है। दिनांक 16.11.1997 की तिथि के बाद धारा–3(7) का लाभ देते हुये दी गयी पदोन्नतियों को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैधानिक (ultra-vires) किया जा चुका है, परन्तु इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा अभी तक दिशा–निर्देश जारी नहीं किये गये हैं, ऐसी स्थिति में इन्हें महाप्रबन्धक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया। इनकी वरिष्ठता नियमानुसार सवंर्ग के मूल पद, अर्थात सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की दिनांक 14.02.1997 से ही अवधारित की गयी है। इस प्रकार प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.2009 का अनुपालन मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2012 को दिये गये निर्देशों के अधीन किया गया है। मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2012 के समादर में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 08.05.2012 एवं दिनांक 13.05.2012 को जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों में निहित व्यवस्था/निर्देशों के तहत ही उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली के नियम–26 के प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में निहित व्यवस्था के अनुसार, संवर्ग के मूल पद अर्थात् सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की दिनांक से ज्येष्ठता अवधारित की गयी है। **उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–9(5) में यह व्यवस्था है कि " उस संवर्ग की, जिसमें नियुक्तियां एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जाय, ज्येष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक नहीं होगा।"** अतः उक्त के आधार पर मौलिक पद, सहायक अभियन्ता के पद से ज्येष्ठता सूची तैयार की गयी है।

इसके अतिरिक्त **उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 में निम्नवत् व्यवस्था है:–**

नियम–8–"जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से की जानी हो, वहॉ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उप नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाएं तो उस कम में अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैः–

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों को विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप–

(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो:

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो इस स्थिति के अनुसार, कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है यथास्थिति, नियम 6 या नियम 7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।

(ग) जहाँ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से की जाय वहाँ पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनो स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी।

उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, के नियम–8 में निहित उक्त व्यवस्था के अनुसार जहाँ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से की जाय वहाँ पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनो स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम के आधार पर अवधारित किये जाने की व्यवस्था है। चूंकि सहायक अभियन्ता पद के सीधी भर्ती एवं पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत चयन एक ही चयन वर्ष में नहीं किये गये है, अपितु अलग–अलग चयन वर्ष में किये गये हैं अतः ऐसी स्थिति में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति कोटे के व्यक्तियों की ज्येष्ठता नियमानुसार चक्रानुक्रम में रखा ज़ाना संभव नहीं पाया गया। ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8 में मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही ज्येष्ठता दिये जाने की व्यवस्था है, रिक्ति की तिथि से ज्येष्ठता दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। उक्त प्राविधानों के तहत ही श्री निन्नूमल चौधरी के संदर्भ में मूल पद सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि 14.02.1997 से वरिष्ठता प्रदान की गयी है। अतः तदनुसार श्री निन्नूमल चौधरी का प्रत्यावेदन आधारहीन एवं बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

(6) श्री महेश चन्द्र जरारी, अधिशासी अभियन्ता (जल) द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 24.12.2012 में यह कहा गया है कि उनको शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.02.2010 द्वारा अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.02.2010 द्वारा उन्हें, उनसे कनिष्ठ श्री रामनाथ की सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 14.02.1997 से की गयी पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी है। चूंकि उनसे कनिष्ठ स्व0 श्री रामनाथ एवं श्री निन्नूमल चौधरी, को अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दिनांक 09.05.2003 से प्रदान की गयी है, अतः उन्हें भी दिनांक 09.05.2003 से अधिशासी

अभियन्ता के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुये उनकी वरिष्ठता निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री महेश चन्द्र जरारी द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति पर विचारोपरान्त यह पाया गया कि शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18.12.2012 द्वारा उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा के सहायक अभियन्ता संवर्ग की अनंतिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी है। श्री जरारी को शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.02.2010 द्वारा उनसे कनिष्ठ श्री रामनाथ की सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 14.02.1997 से की गयी पदोन्नति की तिथि से सहायक अभियन्ता(जल) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश निर्गत किया गया था। अतः श्री जरारी की सहायक अभियन्ता के पद में की गयी मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है। श्री जरारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता के पद पर उनसे कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से पदोन्नति करते हुये वरिष्ठता निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है, जबकि शासन के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 18.12.2012 द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर वरिष्ठता निर्धारित करते हुये उस पर आपत्तियॉ मांगी गयी थी। श्री जरारी की आपत्ति, सहायक अभियन्ता के पद पर ज्येष्ठता प्रदान किये जाने से सम्बन्धित नहीं है। उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार, मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही ज्येष्ठता दिये जाने की व्यवस्था है, अतः श्री जरारी की ज्येष्ठता संवर्ग के मूल पद अर्थात सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की दिनांक 14.02.1997 से ही अवधारित की गयी है। चूंकि अधिशासी अभियन्ता के पद पर ज्येष्ठता निर्धारित नहीं की गयी है। अतः इनका प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं है।

(7) श्री सुरेश चन्द्र, सचिव/अधिशासी अभियन्ता(जल) झॉसी डिवीजन जल संस्थान, झॉसी द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 28.12.2012 में यह कहा गया है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4714 /9–3–12–75डब्लू/2012 दिनांक 18.12.2012 द्वारा उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा संवर्ग की अनंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 28.12.2012 तक मांगी गयी है। जिसके सम्बन्ध में श्री सुरेश चन्द्र द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति की गयी है कि उक्त वरिष्ठता सूची में सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी सम्मिलित किया गया है, जिनकों उक्त सूची में समावेशित नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त महाप्रबन्धक, अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की वरिष्ठता सूची एक साथ पत्र के माध्यम से जारी की गयी है जिसे पृथक–पृथक जारी होना चाहिए सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अधिकारियों की वरिष्ठता सूची एवं अधिशासी अभियन्ता से महाप्रबन्धक पद पर प्रोन्नत अधिकारियों की वरिष्ठता सूची पृथक–पृथक जारी होनी चाहिए। उक्त अनंतिम वरिष्ठता सूची को इस कार्यालय के अधीनस्थ अधिकारियों को भेजने एवं उनकी आपत्ति प्राप्त करने हेतु कम से कम एक सप्ताह का समय लगेगा। अतः आपत्ति शासन को प्राप्त कराने हेतु कम से कम दिनांक 05.01.2013 तक की तिथि निश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

श्री सुरेश चन्द्र द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति पर विचारोपरान्त यह पाया गया कि शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18.12.2012 द्वारा निर्गत की गयी अनंतिम वरिष्ठता सूची को नगर विकास विकास विभाग की बेवसाइट पर दिनांक

18.12.2012 को ही अपलोड किया जा चुका था उक्त अनंतिम ज्येष्ठता सूची में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि निर्धारित तिथि तक आपत्तियां प्राप्त होने पर ही आपत्तियों पर विचार करने के बाद इस ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा। उक्त अनंतिम ज्येष्ठता सूची को बेवसाइट पर अपलोड होने के फलस्वरूप न केवल झाँसी डिवीजन जल संस्थान, झाँसी के कार्मिकों द्वारा, अपितु प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत कार्मिकों द्वारा अपने से सम्बन्धित आपित्तयाँ नियत दिनांक 28.12.2012 तक शासन को उपलब्ध करा दी गयी। अतः ऐसी स्थिति में आपत्तियाँ उपलब्ध कराये जाने हेतु और अधिक समय प्रदान किया जाना संभव नहीं है। जहाँ तक सेवानिवृत्त कार्मिकों को सम्मिलित किये जाने का प्रश्न है, उक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों को इस आशय से सम्मिलित किया गया है कि भविष्य में यदि सेवा सम्बन्धी कोई लाभ प्रदान किया जाना हो, तो इस ज्येष्ठता सूची में उल्लिखित वरिष्ठता के आधार पर उनके सेवा सम्बन्धी लाभों को प्रदान किये जाने हेतु नियमानुसार विचार किया जा सके। इसके अतिरिक्त नगर विकास अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या– 4637/9–3–12–75 डब्लू/2012, दिनांक 08.12.2012 द्वारा उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 प्रख्यापित की गयी है, जिसके अनुसार केन्द्रीयित सेवाओं में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा–संशोधित 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991' के अनुसार अवधारित की जायेगी। उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–9(5) में निहित व्यवस्था कि "उस संवर्ग की, जिसमें नियुक्तियां एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जाय, ज्येष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक नहीं होगा।" उक्त के आधार पर सवंर्ग के मौलिक पद अर्थात सहायक अभियन्ता के पद से ज्येष्ठता सूची तैयार की गयी है। ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में निहित उक्त प्राविधान के अनुसार महाप्रबन्धक, अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की पृथक–पृथक ज्येष्ठता सूची तैयार किया जाना नियमानुसार उचित नहीं है। अतः उक्त के आधार पर श्री सुरेश चन्द्र की आपत्ति बलहीन एवं आधारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

(8) श्री राजेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता (जल) द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 27.12.2012 में यह कहा गया है कि शासन के कार्यालय–ज्ञाप सं0–4714/9–3–12–75डब्लू/2012 दिनांक 18.12.2012 द्वारा प्रकाशित अनंतिम ज्येष्ठता सूची में उनकी जन्मतिथि 30.11.1957 दर्शायी गयी है। जबकि उनकी जन्मतिथि 30.11.1959 है। अतः श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा प्रमाण स्वरूप इस सम्बन्ध में अपनी सेवा पुस्तिका, एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करते हुये जन्मतिथि को सही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा अपनी जन्मतिथि के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये उक्त प्रमाण/अभिलेखों के आधार पर उनकी जन्मतिथि 30.11.1959 अंकित कर दी गयी है।

(9) श्री महराजदीन, अधिशासी अभियन्ता (जल) द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांकरहित में यह कहा गया है कि रिट याचिका संख्या–1056 (एस/बी)/2008 आलोक कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश

दिनॉक 15.05.2009 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–15107/2009 उ0प्र0 राज्य बनाम आलोक कुमार शर्मा व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनॉक 30–9–2011 को पारित हुआ। ज्येष्ठता सूची दिनॉक 09–9–1999 एवं दिनॉक 17–12–2003 परिणामी ज्येष्ठता (8क) के आधार पर निर्गत नहीं हुई थी, बल्कि उ0प्र0 पालिका जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता सेवा नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) के प्राविधानों को अंगीकृत करते हुए बनायी गयी थी। तदनुसार ज्येष्ठता सूची बनायी जाय। उ0प्र0 पालिका एवं जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 दिनॉक 18–12–2012 को निर्गत हुई है, जिसके पैरा–1(3) में यह प्राविधानित है कि यह गजट में प्रकाशन होने के दिनॉक से प्रभावी होगी। जलकल केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1996 के नियम–20 का संशोधन नहीं किया गया है। सम्प्रति यह अद्यतन प्रभावी है। उ0प्र0 पालिका एवं जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 दिनॉक 18–12–2012 से पूर्व की तिथि से प्रभावी नहीं मानी जाएगी। वह उक्त संशोधन के पूर्व संगत नियमावली के प्राविधानों के तहत अधिशासी अभियन्ता के पद पर ज्येष्ठता प्राप्त कर चुके थे। उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के तहत चक्रानुक्रम कें आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जानी चाहिए, जो नहीं की गयी है (प्रथम व्यक्ति पदोन्नति का तथा दूसरा व्यक्ति सीधी भर्ती का) उनकी सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति 14.02.1997 से की गयी थी, जबकि उक्त पदोन्नति पूर्व के वर्षों में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष की जानी थी, अतः उनकी ज्येष्ठता उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष प्रदान की जाय न कि पदोन्नति की तिथि से। तत्समय प्रभावी सेवा नियमावली के प्राविधानों के तहत सहायक अभियन्ता (जल) के पद पर नियुक्ति के दो स्रोत थें। प्रथम उपलब्ध रिक्तियों का 50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पद पर पोषक संवर्ग से पदोन्नति के द्वारा। उ0प्र0 सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के तहत चक्रानुक्रम के आधार पर ज्येष्ठता (प्रथम कार्मिक पदोन्नति का तथा दूसरा कार्मिक सीधी भर्ती का) निर्धारित की जानी थी। यदि पदोन्नतियां बाद में की गयी थीं तो उनके स्थान रिक्त रखे जाने चाहिए थें तथा पदोन्नति के उपरान्त उनको उन रिक्त स्थानों पर निर्धारित किया जाना था। यदि पदोन्नति के पद सेवानिवृत्त से खाली होने के फलस्वरूप उनके कनिष्ठ पदोन्नति वाले कार्मिकों को उक्त खाली स्थानों पर ज्येष्ठता निर्धारित किया जाना चाहिए था। ज्येष्ठता सूची में उनके ऊपर विभिन्न वर्षों में शत–प्रतिशत कार्मिक सीधी भर्ती के रखे गये हैं। सम्बन्धित पूर्ववर्ती वर्षो में सीधी भर्ती के कार्मिकों के सापेक्ष पदोन्नति श्रेणी के कार्मिकों की भी पदोन्नति करते हुए उनके नाम चक्रानुक्रम से सम्बन्धित वर्षों में रखे जाने चाहिए थें, क्योंकि पूर्ववर्ती वर्षों में सीधी भर्ती की रिक्तियां निश्चित थी तो उतनी ही संख्या में पदोन्नति संवर्ग की रिक्तिया भी थी। अतः उनकी ज्येष्ठता सीधी भर्ती की रिक्तियों के सापेक्ष अवधारित करते हुए ज्येष्ठता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि सीधी भर्ती के साथ ही साथ तत्समय पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण करते हुये चक्रानुक्रम ढंग से ज्येष्ठता प्रदान की जाती, तो वह काफी ऊपर होते।

श्री महराजदीन द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्तियों पर विचारोपरान्त यह पाया गया कि दिनॉक 16–7–2008 को प्रख्यापित अधिशासी अभियन्ताओं की अन्तिम वरिष्ठता सूची एवं तद्नुंक्रम में महाप्रबन्धक के रिक्त पदों पर नियमित चयन के फलस्वरूप निर्गत पदोन्नति आदेश दिनॉक 18–7–2008 से क्षुब्ध होकर श्री आलोक कुमार शर्मा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, चित्रकूटधाम मण्डल जल संस्थान, बांदा सम्प्रति महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में रिट याचिका संख्या–1056(एस/बी)/2008 योजित की गयी। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनॉक 15–5–2009 को अन्तिम आदेश पारित किये गये। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित उक्त अन्तिम आदेश दिनॉक 15–5–2009 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–15107/2009 उ0प्र0 राज्य बनाम आलोक कुमार शर्मा व अन्य योजित की गयी। इसके अलावा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनॉक 15–5–2009 को प्रभावित विपक्षीगण यथा सर्वश्री रामभरोस सिंह एवं आई0डी0 पाण्डेय द्वारा भी एस0एल0पी0 संख्या–18859/2009 के माध्यम से मा0 सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 28–8–2009 को उक्त दोनो एस0एल0पी0 को एकजाई करते हुए status quo बनाये रखे जाने आदेश पारित किये गये। कालान्तर में उ0प्र0 राज्य तथा प्रभावित विपक्षीगण यथा सर्वश्री रामभरोस सिंह एवं आई0डी0 पाण्डेय द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित पृथक–पृथक विशेष अनुज्ञा याचिकाओं को मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2011 द्वारा खारिज (Dismissed) कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त वरिष्ठता सूची दिनॉक 16–7–2008 को, जोकि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनॉक 14 सितम्बर, 2007 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2007 अर्थात नियम–8ए के अवधारण के सिद्धान्तों को अंगीकार करते हुए बनायी गयी थी, को किसी भी कार्मिक द्वारा मा0 न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी। अधिशासी अभियन्ता की उक्त वरिष्ठता सूची दिनॉक 16–7–2008 को अनारक्षित संवर्ग के कार्मिक (श्री आलोक कुमार शर्मा) द्वारा अपनी पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण हेतु मा0 उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी और मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2009 को उ0प्र0 राज्य तथा प्रभावित विपक्षीगण यथा सर्वश्री रामभरोस सिंह एवं आई0डी0 पाण्डेय द्वारा पृथक–पृथक विशेष अनुज्ञा याचिकाओं के माध्यम से मा0 सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2011 द्वारा खारिज (Dismissed) कर दिया गया। इस प्रकार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनॉक 30–9–2011 के फलस्वरूप विधिक रूप से रिट याचिका संख्या–1056(एस/बी)/2008 आलोक कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनॉक 15–5–2009 अन्तिम एवं प्रभावी हो जाने के आधार पर याची श्री आलोक कुमार शर्मा, महाप्रबन्धक (जल) द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 21.11.2011 के कम में सम्यक् विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2887/9–3–2012–56डब्लू/2010, दिनांक 12.09.2012 द्वारा श्री आलोक कुमार शर्मा, महाप्रबंधक (जल) को उनसे कनिष्ठ श्री बी0के0

पाण्डेय व अन्य की महाप्रबंधक के पद पर दिनांक 18.07.2008 से की गयी पदोन्नति की तिथि से महाप्रबंधक के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश निर्गत किया गया।

इसी मध्य उ0प्र0 सरकारी ज्येष्ठता नियमावली,1991 के नियम–8(क) एवं उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण) अधिनियम, 1994 के नियम–3(7) के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या–1389(एस/बी)/2007 प्रेम कुमार सिंह तथा अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य तथा अन्य व इससे सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 04 जनवरी, 2011 को अन्तिम निर्णय पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"Thus , all the writ petition in the bunch do not require any separate discussion and for the reasons aforesaid, they shall also be governed by the present judgment.

For the reasons given above and the discussions made, we declare the provisions of Section3(7) of the Act, 1994 and that of Rule 8-A of the U.P Government Servants Seniority (Third Amendment) Rules, 2007 as invalid, ultra virus and unconstitutional. Consequently, the Government Order dated 17-10-2007 is also hereby quashed.

In view of our finding that reservation in promotion as provided under Section3(7) of the Act, 1994 is no more available, the Eligibility List Rules, 1986 as amended in 1995 and 2001, in so far as they provide for preparation of separate eligibility list of general category and scheduled castes and scheduled tribes candidates with accelerated seniority, lose their significance and shall remain no more operative.

Consequent to the aforesaid declaration, we quash all the seniority lists, which have been prepared by applying Rule 8A and are subject-matter of challenge in their respective writ petitions in the bunch. This direction will equally be applicable to all the departments of the State Government and the Corprorations, etc.

We further clarity that in case the State Government decides to provide reservation in promotion to any class or classes of posts in the services under the state, it is free to do so after undertaking the exercise as required under the consititutional provisions, keeping in mind the law laid down by the Apex court in the case of M. Nagraj But till such an exercise is done and enactment/Rule is consequently made, no reservation in promotion on any post or classes of posts under the services of the State including the corporations,etc. Shall be made henceforth. Howerver, all promotions already made as per the provision/rule of reservation where the benefit of Rule 8-A has not been given, while making the promotions, shall not be disturbed by the declaration aforesaid and shall stand protected.

All the writ petitions are, therefore, allowed. Costs easy.

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनॉक 04 जनवरी, 2011 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या– 2608/2011 व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–4030/2011 में विस्तृत सुनवाई के पश्चात् मा0